and energy conservation measures and arranging transfer of energy from surplus to deficit areas. Assistance has also been provided to Gujarat from the 15% unallocated output of Central Sector Stations in the Western Region from time to time depending upon the relative (%) shortage of other constituent systems of the region. A target of 265 MW capacity in Gujarat has been fixed for Comissioning during 1993-94, out of which 45 MW Utran Stage-I has been commissioned on 7.7.1993.

Setting up of Power Stations at Pipavav

948. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister had on 8th January, 1993 accepted the proposal of Gujarat to set up two 615 MW gas-based power stations at Pipavav to cater to Saurashtra region of the State which is facing voltage problems on account of transmission difficulties;

(b) if so, whether all the modalities of the power projects have been finally settled by the Gujarat State Government;

(c) if so, whether the foreign investores have agreed to complete the project; and

(d) if so, by when this power project will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा एन टी पी सी को भुगतान करने में विलम्ब

949. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विद्युत बोर्डों द्वारा एन टी पी सी को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1.1.94 की स्थिति के अनुसार इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जी, हां।

(ख) 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार, राज्य बिजली बोर्डों/अन्य संगठनों की ओर से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को देय राशियां विवरण में दी गयी हैं (नीचे देखिये) ।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) राज्य बिजली बोर्डों को वृहत मात्रा में विद्युत सप्लाई समझौतों के अनुसार साख पत्र खोले जाने

विवरण

1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार एन टी पी सी की बकाया देय

(रुपये लाख में)

सु०ता०वि० केन्द्र/ रा०वि० बोर्ड	आरक्षण स्थिति के अनुसार देय*	प्रभारित बिल	कुल देय	मासिक औसत बिल बनाने के *अनुसार बकाया	अपेक्षित साखपत्र	खोला गया साख पत्र
1	2	3	4	5	6	7
क. एन०आर० एण्ड एन०सी०आर०						
यूपीएसईबी	34880	24962	59842	3.8	9000	7200
आरएसईबी	8500	11394	19894	2.0	3000	1100

1	2	3	4	5	6	7
डब्लू	17564	6373	23937	5.9	4250	1100
पीएसईबी	4601	221	4822	2.3	2850	1250
एचएसईबी	25658	10734	36392	7.3	3200	1010
एचपीएसईबी	831	717	1548	3.8	200	100
जम्मू एवं कश्मीर	15778	1865	17643	13.1	900	0
यू टी सी	62	24	86	0.5	150	0
जोड़ (क) :	107874	56290	164164	4.6	23550	11760
ख. प० क्षेत्र						
एमपीईबी	2488	16052	18540	0.4	7000	4500
एमएसईबी	4669	6623	11292	1.4	3800	200
जीईबी	7280	6132	13412	1.9	3600	1000
गोवा	—8	4	—4	0.0	400	350
दादर एवं नगर हवेली	7	14	21	0.0	150	100
दमन एवं दीव	92	6	98	1.0	100	0
जोड़ (ख) :	14528	28831	43359	1.1	15050	6150
ग. दक्षिणी क्षेत्र						
एपीएसईबी	8098	2822	10920	3.6	3000	0
केईबी	2551	2330	4881	1.5	850	0
टीएनईबी	8165	4350	12515	3.6	2500	0
केएसईबी	1478	1804	3282	1.6	850	850
गोवा	74	0	74	0.3	100	100
पाण्डिचेरी	—42	2	—40	—0.2	250	0
जोड़ (ग) :	20324	11308	31632	2.6	7550	950
घ. पूर्वी क्षेत्र						
डब्ल्यू एसईबी	1729	4918	6647	0.0	300	300
बीएसईबी	23766	19323	43089	15.6	1500	0
ओएसईबी	2740	2197	4937	4.3	450	400
डीवीसी	8318	7046	15364	42.7	300	300
सिक्किम	27	7	34	27.0	0	0
जोड़ (घ):	36580	33491	70071	15.6	2550	1000
जोड़ : (क)+ख+ग+घ	179306	129920	309226	3.8	48700	19860

*बिल बनाने की अधिसूचना से पूर्व टैरिफ ए०पी० ड्यूटी।

समेत, सहमत वित्तीय एवं वाणिज्यिक शर्तों का अनुपालन न किए जाने के मामले में, जहां कहीं भौतिक और तकनीकी रूप से व्यावहारिक हो, एन टी पी सी को यह अनुमति दी गयी है कि ऐसे मामलों में वे अपने संबंधित विद्युत केन्द्रों से विद्युत सप्लाई बन्द कर दें अथवा प्रतिबंधित कर दें।

(2) राज्य बिजली बोर्डों से, एक्सी कवरेज से अधिक विद्युत आहरण के लिए पैनल दरें प्रभारित की जाएंगी।

(3) 31 मई, 1990 की स्थिति के अनुसार संचयित बकाया राशियों की वसूली, चार वार्षिक किश्तों में 1020.50 रु० की राशि संबंधित राज्यों की केन्द्रीय आयोजना सहायता से एन टी पी सी को देय वसूलियों को वसूल करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से, 31 मई, 1992 की स्थिति के अनुसार चार वार्षिक किश्तों में 745.31 करोड़ रुपये देय की वसूलियों से भी की जा रही हैं।

(4) चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों को उनकी ओर बकाया राशियों की शीघ्र भुगतान और चालू बिलों के नियमित भुगतान हेतु जोर दिया जा रहा है।

Supply of Coal to new Thermal Power Stations in Madhya Pradesh

950. SHRI AJIT P.K. JOGI:
CHOWDHRY HARI SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have given its accord to make the coal available to certain newly proposed Thermal Power Stations in Madhya Pradesh;

(b) it so, what is the requirement of coal for the said projects and what quantum of coal has been allocated to them;

(c) whether State Government have also requested to increase the supply of coal for their other power projects; and

(d) if so, what action has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) Yes, Sir. The Standing Linkage Committee (Long-Term) of the Ministry of Coal on Thermal Power Stations in its meeting held on 27.1.1994 have agreed to coal linkage for Korba (West) Thermal Power Station Units 5 & 6 (2x210MW) in Madhya Pradesh under private sector. The ultimate coal requirement is indicated as 2.35 million tons per annum from August, 1998 onwards. The requirement of coal is of the order of 2.30 million tons per annum at 80% plant load factor.

(c) and (d) Coal supplies to thermal power stations arc arranged on quarterl basis as per the linkages provided by the Standing Linkage Committee (Short-term) of the Ministry of Coal. Supply of coal to power houses is given highest priority. Supplies of coal to power stations in Madhya Pradesh is closely monitored and corrective action taken whenever necessary to sustain power generation.

पम्प सेटों में सुधार करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव

951. श्री अजीत जोगी:
चौधरी हरि सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पम्प सेटों में सुधार करने के लिए और उन्हें बिजली के कनेक्शन देने के लिए 1993-94 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से इन पम्पों में सुधार किया गया है; और

(ग) इस कार्य पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों से पंपसेटों में सुधार लाने हेतु, केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए गए हैं राज्य बिजली